द्वारा फैक्स
अ०शा० परिपत्र संख्या: 27 /2013

देवराज नागर
आई०पी०एस०

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-बी०एन० लहरी मार्ग, लखनऊ।
दिनांक:लखनऊ:जून 3 ,2013

प्रिय महोदय,

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या02/2013 दिनांक 23.3.2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विवेचना में गुणात्मक सुधार के लिए आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. रिट याचिका संख्या:1797/2011 मो० कासिम बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के संबंध में दिनांक 23.5.2013 को पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), उ०प्र० मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत हुए थें, उनके द्वारा मा० न्यायालय को आश्वासन दिया गया है कि दिनांक 01.8.2013 से सभी घटना स्थल यैलो टेप से सुरक्षित किये जायेगें।

3. उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि घटनास्थल को first responder द्वारा सुरक्षित रखा जाय, जिसके लिए प्रत्येक थाने पर पर्याप्त मात्रा में crime scene protection tape की आवश्यकता होगी। निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० द्वारा अवगत कराया गया है कि 50 मीटर का यह Flex Tape roll लगभग रू0 750.00 में आता है, जो Central Institute of Plastic Engineering & Technologies, Department, of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India, B-27, Amausi Industrial Area, Lucknow में उपलब्ध है। यदि इससे सस्ता यैलो टेप किसी अन्य श्रोत से मिलता है तो उसे क्रय कर लिया जाय। उचित होगा कि फ्लैक्स यैलो टेप क्रय कर लिया जाय, जिसे एक घटना स्थल पर प्रयोग करने के पश्चात अन्य घटना स्थल पर भी इसका उपयोग किया जा सके।

4. यदि यैलो टेप क्रय करने के लिए धनाभाव हो तो अपर पुलिस महानिदेशक'मुख्यालय', उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से उक्त हेतु धनराशि की माँग की जाय।

5. उक्त फ्लैक्स यैलो टेप अपने अधीनस्थ समस्त थानों को वितरित करा दिया जाय तथा कन्ट्रोल रूम वाहनो में भी रखवा दिया जाय।

6. अपने जनपद में कार्यशाला आयोजित कर प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष तथा थाने पर नियुक्त पुलिस कर्मियों व कन्ट्रोल रूम के स्टाफ को भी घटनास्थल को सुरक्षित रखने हेतु यैलो टेप का प्रयोग करने के संबंध में अवगत करा दिया जाय।

7. प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक प्रिण्ट मीडिया के माध्यम से जनता को भी अवगत करा दिया जाय कि पुलिस के पास यैलो टेप उपलब्ध हो गया है। अतः घटनास्थल के आस-पास जनता के लोग न जाय, छेड़-छाड़ न करें ।

8. घटना की जानकारी प्राप्त होते ही जो भी पुलिस कर्मी, चाहे वह थाने से अथवा कन्ट्रोल रूम से, घटनास्थल पर पहुँचेगा वह घटनास्थल को यैलो टेप से सुरक्षित करेगा।

9. यैलो टेप से सुरक्षित घटनास्थल में केवल विवेचक एवं विवेचना से सम्बन्धित पुलिस व फोरेंसिक टीमों के कर्मी ही जायेगें। अन्य पुलिस कर्मी सुरक्षित घटनास्थल में प्रवेश नहीं करेगें।

10. दिनांक 1.8.2013 के बाद सभी घटनास्थल को यैलो टेप लगवाकर सुरक्षित किया जायेगा। यदि प्रिण्ट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से मुख्यालय के संज्ञान में यह बात आयेगी की किसी घटनास्थल पर यैलो टेप लगाकर उसे सुरक्षित नहीं किया गया है तो संबंधित जनपद प्रभारी के विरूद्ध प्रतिकूल धारणा बनायी जायेगी।

11. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

3-6-13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/
प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक'मुख्यालय', उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस मुख्यालय के अ0शा0 पत्र संख्याःडीजी-सात-एस-4(1)/2013 दिनांक 27.3.2013 के क्रम में ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक'रेलवेज', उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।